न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/137/2025	08.08.2025	6-5-2026

1–वेद प्रकाश पुत्र रामकवार निवासी ग्राम अहीरबासना तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1–चंद्रकला पत्नी भूपसिंह,
2–धर्मपाल पुत्र कुडीया,
3–मनोज पुत्र लालचन्द,
4–महिपाल पुत्र लालचन्द निवासीयान ग्राम अहीर बासना तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

(असल अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री सुनील यादव –वकील प्रार्थी

02. श्री कृष्ण कुमार यादव –वकील अप्रार्थी सं0 3 व 4

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली वेदप्रकाश बनाम चन्द्रकला राजस्व वाद संख्या 336/2025, 298/2025 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व प्रार्थना पत्र संख्या 298/2025 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। व बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया गया है, कि तहत अदालत के समक्ष राजस्व वाद संख्या 336/2025 उनवान वेदप्रकाश बनाम चंद्रकला अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रकरण संख्या 298/2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई की आगामी तारीख पेशी दिनाक 12.08.2025 नियत है। राजस्व वाद संख्या 336/2025 व प्रकरण संख्या 298/2025 में दिनाक 31.07.2025 को जर्ये अन्तरिम निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया था जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनाक 02.09.2025 नियत की गयी थी, तथा इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 04 द्वारा आगामी तारीख से पहले एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया और स्थगन हटवाने का प्रयास किया। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनाक 12.08.2025 नियत की गयी। विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा जिस प्रार्थना पत्र को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया उस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को किसी भी तरह की कोई सूचना नही दी गयी। जिससे की पीठासीन अधिकारी पर धन, बल व राजनैतिक कृत्य से पीठासीन अधिकारी को अपने हक में फेसला पारित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान बना रखी है। जिससे प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है, कि आगामी तारीख में प्रार्थी के विरूद्व कोई न कोई आदेश जरूर पारित किया जा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

सकता है, यदि ऐसा कोई आदेश पारित किया गया, तो प्रार्थी को न्याय नही मिलेगा व प्रार्थी को आर्थिक व मानसिक हानि उठानी पड जायेगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की सभी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 4 को फायदा पहुचाने के उद्वेश्य से कि जा रही है, ऐसे में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश को अपास्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे साफ पता चलता है, कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व पीठासीन अधिकारी की आपसी मिलीभगत है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 प्रार्थी को धमकी देता है, कि मैं पीठासीन अधिकारी को अच्छी तरीके से जानता हूँ उससे अच्छे संबंध है, और में इस चल रहे प्रकरण में अपने पक्ष में फैसला पारित करवाके ही रहूगा। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहत अदालत के समक्ष राजस्व वाद संख्या 336/2025 उनवान वेदप्रकाश बनाम चंद्रकला अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रकरण संख्या 298/2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधआज्ञा से उभय पक्षकारान को पाबन्द किया गया था, यहा इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के द्वारा स्थगन आदेश हटवाये जाने बाबत कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया है। वाद में वर्णित खसरा न0 से केवल मात्र किसान क्रेडिट कार्ड की छूट लेने बाबत पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश हटवाने का प्रसास किया गया यह बात गलत है। मिन अप्रार्थी का न तो कोई किसी व्यक्ति से राजनैतिक सम्बंध रखता है, न ही कोई धन, बल वाले व्यक्ति है। प्रार्थना पत्र केवल मात्र किसान क्रेडिट कार्ड की छूट बाबत न्यायालय में पेश किया गया है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से हमारी कोई जान पहचान नही है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी पर गलत आरोप लगाये गये है। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीयान को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है, वो मिथ्या बनावटी अंकित किये गये है। प्रार्थी द्वारा पेश किये गये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यो पर तहत अदालत से जर्ये पत्राक 1126 दिनाक 07.08.2025 के द्वारा टिप्पणी तलब की गयी। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 400 दिनाक 08.09.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यो पर बिन्दूवार जवाब पेश किया गया है, मुताबिक टिप्पणी के अप्रार्थी अपने हिस्से आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर वकील वादी विधिक प्रावधानानुसार पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर सुनवाई की जा रही है, यदि विचाराधीन प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/अप्राथी संख्या 3 व 4 के द्वारा प्रस्तुत तथ्यो से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष बअनुवानी पत्रावली वेदप्रकाश बनाम चन्द्रकला राजस्व वाद संख्या 336/2025 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रकरण संख्या 298/2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। विचाराधीन राजस्व वाद के सलग्न प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के तहत मुताबिक आदेशिका दिनाक 31.07.2025 स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष वाद में वर्णित खसरा न0 से केवल मात्र किसान क्रेडिट कार्ड की छूट लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर वकील वादी के हस्ताक्षर कराये गये है प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश हटवाने का प्रसास किया गया यह बात गलत है। प्रार्थना पत्र केवल मात्र किसान क्रेडिट कार्ड की छूट बाबत न्यायालय में पेश किया गया है। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर वकील वादी के हस्ताक्षर कराये गये है, शेष तथ्य मनगढंत एंव झूठे तथ्य अंकित किये गये है। न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानानुसार पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर सुनवाई की जा रही है। उक्त की जा रही कार्यवाही पर ऐतराज उचित प्रतीत नही है। विचाराधीन राजस्व प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुऐ प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 6-5-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खुतल प्रकाश)
जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)